न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 72/2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 29/09/2020

निर्णय दिनांक : 01/03/2021

1. गोपाल पुत्र मूल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. बंशी पुत्र मूल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र छीतर, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. कैलाश पुत्र छीतर, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. रामनारायण पुत्र छीतर, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. हनुमान पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. भंवरलाल पुत्र सुवा, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. मोतीलाल पुत्र लाला, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. छोटुराम पुत्र मूल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
8. भागीरथ पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
9. श्योजीराम पुत्र मुल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

10. श्रीलाल पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

11. तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

12. सबरजिस्ट्रार महोदय, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4
श्री प्रहलाद कडवा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 व 6
अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के
विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 12 फोरमल पक्षकार हैं।

निर्णय दिनांक 1/3/21

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खाता संख्या 303 की आराजी खसरा नम्बर 1418/74 रकबा 0.1500 हैक्टेयर गै.मु.बाडा वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसके प्रार्थीगण व अन्य खातेदार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 10 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात है, उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 74 था, जो कि काफी बडा रकबा था जिसका खातेदारान के मध्य तकासमा व तरमीम हुआ तथा तकासमा के पश्चात अलग–अलग खसरा नम्बरान कायम होकर तकासमा तरमीम हो चुका है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, तकासमा व तरमीम के पश्चावत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 10 के हक में खसरा नम्बर 1418/74 आया हैं, जिसकी किस्म गै.मु. बाडा के रूप में दर्ज है मौके पर उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर प्रार्थीगण ने बाडा बनाकर मकान बनाकर अब तक काफी वर्षो से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 3 जिनके हिस्से में उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा का खसरा नम्बर 1410/74 व अप्रार्थी संख्या 4

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

के हिस्से में खसरा नम्बर 1411/74 की भूमि आयी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में खसरा नम्बर 1415/74 आये हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 जो कि उक्त भूमि के पडोसी है, जो जबरन प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की तकासमाशुदा आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने भी अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1410/74 व 1411/74 व 1415/74, 1418/74 में पुख्ता मकान बाडा बना रखा है, जो अब इसकी आड में प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा काश्त करना चाहते है एवं अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार मौजमाबाद से मिलीभगत कर नक्शा में तरमीम तकासमा गलत रूप से करवाकर राजस्व रिकार्ड में भी फेरबदल कराना चाहते है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नही हैं। वर्तमान में जो तकासमा तरमीम हो रखी है, वो सही रूप से हो रखी है जो सभी खातेदारों ने पूर्ण सहमति से मौके पर कब्जे एवं उपयोग उपभोग के अनुसार करवायी है तथा जिसके हिस्से में जो खसरा नम्बरान आया हे, वह व्यक्ति उसी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन अब अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है, जिससे वे तहसीलदार से मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की उपयोगशुदा भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 20/09/2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ल. 7 एवं अप्रार्थी संख्या 11 के कारकुनान वादग्रस्त आराजीयात पर आये एवं आराजीयात की नाप चौक करने लगे, जब प्रार्थी ने इसका कारण पूछा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हमने तहसीलदार से मिलीभगत कर ली है तथा अब हम राजस्व रिकार्ड में नक्शा में तरमीम परिवर्तन करवाकर तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि पर हम जबरन कब्जा करेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपने हितों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 में प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग से बेदखल नही करें, न मेर सींव को नहीं तोडे तथा पूर्व में जो सभी खातेदारान की सहमति से मूल खसरा नम्बर 74 का तकासमा व तरमीम किया गया था, उसको सभी खातेदारान की सहमति के बिना राजस्व रिकार्ड में कोई फेरबदल नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।"

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 व 5 व 6 की बहस प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4, 5 व 6 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 303 पेश की है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 7 व 10 उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अन्य जमाबन्दीयात पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होना पाये जाते हैं, अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की जो आराजीयात है, वह मूल खसरा नम्बर 74 से ही टुटकर अलग–अलग खसरा नम्बरान बनना पाये जाते हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मुख्य विवाद आवागमन के रास्ते की तरमीम को लेकर पाया जाता हैं, चूकि मौके पर रास्ता किस जगह स्थित है? रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है या नही? दर्ज है, तो सभी खातेदारान की सहमति से विभाजन होकर रास्ता बना या नही ? आदि तथ्यों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन चूकि विवादित आराजीयात पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे वे आराजीयात का दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरण कर सकते है, जिससे प्रकरण में ओर पेचीदगीयां पढेगी तथा आवागमन बाधित हो सकता है, जो न्याय संगत नही होगा, इसलिये प्रकरण में

सहायक कलक्टर

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि रास्ते को लेकर विवाद पाया जाता है तथा प्रकरण में अभी पुरी स्थिति भी स्पष्ट नही हो पायी है, वास्तविक स्थिति मूल वाद के निस्तारण पर तय हो पायेगी, आवागमन बाधित होने की स्थिति में प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाते है, इसलिये यदि अप्रार्थीगण को यदि पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 74 तथा इसी खसरा नम्बर 74 से टुटकर बने अन्य सभी बट्टा नम्बरान वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद के [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)
(फास्ट ट्रेक) दूदू